अर्धवार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका

# मंथन


संरक्षक एवं प्रेरणास्रोत

**डॉ. एम. बालाजी**

संयुक्त सचिव एवं निदेशक (निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण)

प्रधान संपादक

**डॉ. जे. एस. रेड्डी**

अपर निदेशक

सम्पादक

**श्री मनोज कुमार गुप्ता**

उप निदेशक (तकनीकी)

---

सम्पादक मण्डल सदस्य

**डॉ. आनंद गुप्ता**
संयुक्त निदेशक (तकनीकी)

**श्री वसी असगर**
सहायक निदेशक (तकनीकी)


---


## निर्यात निरीक्षण परिषद

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)
दूसरी मंजिल, बी–प्लेट, ब्लॉक–1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली–110023, भारत, दूरभाष : 011–20815386 / 87/88



पत्रिका में प्रकाशित लेखों, रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद, हिंदी अनुभाग या सम्पादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नि:शुल्क वितरण के लिए

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | संदेश, श्री एल .सत्या श्रीनिवास, आई.आर.एस, अध्यक्ष, निनिप | 3 |
| 2. | निदेशक की कलम से– डॉ. एम बालाजी ,आई.ए.एस. संयुक्त सचिव एवं निदेशक, निनिप | 4 |
| 3. | संदेश, डॉ.जे.एस. रेड्डी, अपर निदेशक ,निनिप, नई दिल्ली | 5 |
| 4. | संपादकीय, श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप निदेशक (तकनीकी), निनिप | 6 |
| 5. | निर्यात निरीक्षण परिषद ,नई दिल्ली को कीर्ति पुरस्कार की उपलब्धि एवं सूरत ,गुजरात में 14 एवं 15 सितंबर, 2022 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पर एक रिपोर्ट | 7–11 |
| 6. | कंठ से कलम तक और कलम से कम्प्यूटर तक हिन्दी का प्रयोग, के.एस. जीजिमोल,क.हि.अ., निनिअ–कोच्चि | 12–17 |
| 7. | निर्यात निरीक्षण परिषद की गतिविधियां : अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 | 18–21 |
| 8. | हिन्दी दिवस / हिन्दी पखवाड़े, 2022 के समारोह का आयोजन | 22–27 |
| 9. | एफएओ–श्रीलंका क्षमता निर्माण पहल के भाग के रूप में बीसीआईएल और निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोच्ची, भारत द्वारा आयोजित आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों / जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण – एक अवलोकन | 28–31 |
| 10. | निनिअ प्रयोगशाला – प्रवीणता परीक्षा प्रदाता, श्री मनोज कुमार गुप्ता, उपनिदेशक(त), निनिप | 32–33 |
| 11. | भारत द्वारा निर्यातित बासमती चावल मे कीटनाशक अवशेष एक समस्या, श्री सुरेश सिंह चौहान,उपनिदेशक (त), निनिअ–दिल्ली | 34–36 |
| 12. | कार्यशाला का महत्व, श्री वसी असगर , सहायक निदेशक (त) , निनिप | 37 |
| 13. | निनिअ–कोच्चि प्रयोगशाला द्वारा विद्वत समीक्षित पत्रिका में मैनुस्क्रिप्ट का प्रकाशन, डॉ अनूप ए. कृष्णन, सहायक निदेशक(त), निनिअ–कोच्चि | 38 |
| 14. | भारतीय डेयरी उत्पाद और निर्यात क्षमता, श्री विकास दहिया, तकनीकी अधिकारी, निनिप | 39 |
| 15. | यूरोपीय संघ (ईयू) खाद्य और फ़ीड नियंत्रण प्रणाली, डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता, तकनीकी अधिकारी, निनिप | 40–43 |
| 16. | जीवन का अनुभव, श्रीमती कमलेश गुप्ता ,क.हि.अ., निनिप | 44 |
| 17. | बदलते परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा का महत्, श्रीमती अंजु शर्मा, लिपिक श्रेणी–II, निनिप | 45–46 |
| 18. | राष्ट्र की शान हिंदी, श्री योगेश गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक, निनिअ–दिल्ली | 47 |
| 19. | निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण कार्यालयों में सेवानिवृत्त /नवनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण | 48 |

एल.सत्या श्रीनिवास,आईआरएस
अध्यक्ष
निर्यात निरीक्षण परिषद

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 011

# संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि निर्यात निरीक्षण परिषद कार्यालय, अर्ध–वार्षिक पत्रिका मंथन अक्टूबर 2022 अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। परिषद कार्यालय को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी **राजभाषीय कार्यो के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए प्रथम श्रेणी, कीर्ति पुरस्कार,**माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार पाने पर सभी परिषद कार्यालय के कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आशा करता हूँ कि भविष्य में भी परिषद कार्यालय इस प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित होने के लिए सतत प्रयासरत रहेगा।

राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। हिंदी विभिन्न भाषा– भाषियों तथा संस्कृतियों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक परंपरा की धनी है और विचारों व भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम भी है। हमारा संवैधानिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य भी है, कि हम हिंदी भाषा को अपने अधिकाधिक विभागीय कार्यो की भाषा बनाएं। ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों, नियमों, प्रावधानों का अनुपालन हो सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंथन पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक तथा रचनात्मक भाव सृजन करने में सफल होगी।

पत्रिका के सम्पादक मंडल, रचनाकारों, तथा प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों–कर्मचारियों के सफल प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।

**(एल.सत्या श्रीनिवास, आईआरएस)**
अध्यक्ष
निर्यात निरीक्षण परिषद

निर्यात निरीक्षण परिषद्
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
दूसरी मंजिल, बी–प्लेट, ब्लॉक–1, वाणिज्यिक परिसर,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, भारत


सत्यमेव जयते

# निदेशक की कलम से

मेरे प्रिय सहकर्मियों,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के द्वारा अर्ध–वार्षिक गृह पत्रिका मंथन का प्रकाशन किया जा रहा है। आपका यह प्रयास वास्तव में बहुत ही प्रंशसनीय एवं सराहनीय है क्योंकि ऐसे प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा का गौरव बढ़ता है। वही इसके लेखकों, रचनाकारों की भावपूर्ण मौलिक लेखों, रचनाओं के माध्यम से जनसमान्य में हो रहे क्रियाकलापों के साथ विविधतापूर्ण नवीन जानकारियॉं भी मिलती है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि परिषद कार्यालय को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने हिंदी राजभाषीय कार्यो के उत्कृष्ठ  कार्य निष्पादन के लिए प्रथम श्रेणी, कीर्ति पुरस्कार, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, यह एक सराहनीय एवं गौरव का विषय है, जोकि आप सभी कार्यालय कार्मिकों एव रचनाकारों के सहयोग से प्राप्त हुआ है।

हिंदी गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत–सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं प्रचार–प्रसार में सशक्त भूमिका निभाती है। राजभाषा हिंदी में प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं के माध्यम से राजभाषा हिंदी के विकास और प्रचार– प्रसार में विशिष्ट योगदान रहा है, निनिप कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली मंथन पत्रिका सभी मानक पर मनमोहक एवं रोचक है।

हिंदी राजभाषा ने सभी भारत–वासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है, संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया,तथा वर्ष 1975 में भारत–सरकार के द्वारा सरकारी काम–काज में हिंदी में कार्यो को प्रोत्साहन देने हेतु राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

वास्तव में हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु ज्ञानवर्धक सामग्री का संकलन किया गया है इन प्रयासों की मैं सहदृय से सराहना करता हूँ। हमे हिंदी में कार्य करके अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी को अपनाना है और राजभाषा हिंदी को गौरवान्वित करना है।

राजभाषा गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिषद कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन 14 सितम्बर 2022 से 28 सितम्बर 2022 तक विधिवत रूप से आयोजित किया गया, हिन्दी दिवस/पखवाड़े का शुभारंभ बड़े हर्षोउल्लास के साथ किया गया।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सारे लेखको, रचनाकारों एवं कार्मिकों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं।

**(डॉ.एम.बालाजी)**
संयुक्त सचिव एवं निदेशक
निर्यात निरीक्षण परिषद

YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

**निर्यात निरीक्षण परिषद्**
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार**
दूसरी मंजिल, बी–प्लेट, ब्लॉक–1, वाणिज्यिक परिसर,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, भारत

# संदेश

परिषद कार्यालय की अर्ध वार्षिक पत्रिका अक्टूबर 2022 के अंक के प्रकाशन पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ कार्यालयीन कार्मिकों में रचनात्मक भाव जागृत एवं प्रोत्साहन देने हेतु राजभाषा हिंदी के प्रति अनुकुल वातावरण बनाने में पत्रिका बहुमूल्य योगदान प्रदान करती है। इसी परिपेक्ष्य में परिषद कार्यालय को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने हिंदी राजभाषीय कार्यो के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए प्रथम श्रेणी, कीर्ति पुरस्कार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार पाने पर सभी परिषद कार्मिको को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी के अथक प्रयासों से यह कार्य संभव हो पाया है।

राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नही, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है हिंदी के प्रयोग, एवं प्रचार–प्रसार को बढ़ाने में गृह हिंदी पत्रिकाएं निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। मेरा सभी कार्मिकों को सुझाव है कि अपने कार्य–व्यवहार में राजभाषा हिंदी के आम जीवन में प्रचलित सरल एवं सहज शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, ताकि सरकारी नीतियों/ शासकीय कार्यो एवं कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य तक आसानी से पहुँच सके।

अर्धवार्षिक पत्रिका मंथन के प्रकाशन में योगदान देने हेतु मैं सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि पत्रिका का यह अंक पूर्व के अंकों की भॉति सभी को पसंद आएगा और भविष्य में आप लोग अपनी रचनाओं से पत्रिका को समृद्व करते रहेगें।

अंत में मैं सभी रचनाकारों एवं सम्पादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ।

जे एस रेड्डी

**(डॉ जे. एस. रेड्डी)**
**अपर निदेशक**
**निर्यात निरक्षण परिषद**

E-mail : eic@eicindia.gov.in
Website : www.eicindia.gov.in
ग्राम : निर्यातगुण
Grames : Shipmentquality
दूरभाष / Phone } 011-20815386/87/88

निर्यात निरीक्षण परिषद्
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
दूसरी मंजिल, बी–प्लेट, ब्लॉक–1, वाणिज्यिक परिसर,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, भारत

# संपादकीय

**प्रिय पाठकगण,**

अर्धवार्षिक गृह पत्रिका अक्टूबर 2022 मंथन के अंक अपने नये कलेवर और साज–सज्जा के साथ आपके हाथों मे है। पत्रिका ने प्रारंभ से ही नए आयामों, रचनाकारों को अपने साथ मिलाकर निरंतर चली आ रही है। प्रारंभ से ही लक्ष्य था कि साहित्य के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों, सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को उसका उचित और गौरवपूर्ण स्थान दिलाना था यह उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका है, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि परिषद कार्यालय को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने हिंदी राजभाषीय कार्यो के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए प्रथम कीर्ति पुरस्कार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, यह एक सराहनीय एवं गौरव का विषय है, जोकि आप सभी रचनाकारों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। और हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर अपना विभागीय कार्य कर रहे है। इस कार्यकाल में अब हिंदी मातृभाषा को दोयम श्रेणी में नही रखा जाये।

विभागीय पत्रिकाओं का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त विभागीय प्रतिभाओं को लेखन का मंच प्रदान करने के साथ–साथ अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना भी होता है मंथन पत्रिका इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही है। बहुत से रचनाकारों को पत्रिका में स्थान प्राप्त हुआ है और वे हिंदी में रचनाएं लिख रहे हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग को लेकर कई बार विभागीय राजभाषा समिति ने कार्यालय द्वारा किए गए कार्यो की सराहना की है।

किसी कार्यालय को किसी विचार या कार्य को मूर्तरूप देने के लिए उस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का बहुमूल्य योगदान होता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सदैव हिंदी में कार्य करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित ही नही किया, वरन् हिंदी में कार्य किया है। मंथन पत्रिका को उचित स्थान एवं सार्थक बनाने हेतु पाठकों एवं रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके सकारात्मक सहयोग, प्रेरणादायक प्रतिक्रियाएं पत्रिका के प्रकाशन में प्रेरणा स्रोत रही है।

अतं में मैं मंथन पत्रिका से जुड़े सभी सदस्यों रचनाकारों का पत्रिका के नये अंक प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं – आपकी प्रतिक्रियाओं का सह दिल से स्वागत है।

मनोज गुप्ता

**(मनोज कुमार गुप्ता)**
उप–निदेशक (तकनीकी)

# निनिप, नई दिल्ली को कीर्ति पुरस्कार की उपलब्धि एवं सूरत, गुजरात में 14 एवं 15 सितंबर, 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पर एक रिपोर्ट

राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन का एक विभाग है। राजभाषा के बारे में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी थी। तभी से यह विभाग संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयासरत रहता है।

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया और तब से ही इस दिवस की स्मृति में, प्रतिवर्ष 14 सितंबर 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा सौंपे गए संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों तथा संविधान की भावना के अनुरूप तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति के साथ, राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार करने और इसके प्रयोग को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरणा लेते हुए देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन–2022 भारत की अपनी वाणी की शक्ति एवं क्षमता को मज़बूत करने के दृष्टिकोण एवं दृढसंकल्प को उजागर करने में महत्वपूर्ण रहा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्र के जागरण के नए विचारों एवं नवीन संकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ते समय देशवासियों के विचारों का आदान प्रदान अपनी भाषा/ भाषाओं के माध्यम से संभव होने के सपने को साकार करने का महोत्सव भी होना चाहिए। इस दौरान देश भर में कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तभी सफल होगी जब भारतवासी अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से करना शुरू करे। देश भर में देशभक्ति की भावना को फैलाने के उद्देश्य से मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव से जुडे अलग–अलग कार्यक्रमों के साथ आयोजित हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन के साथ–साथ देश भर में राजभाषा की वांछित प्रतिष्ठा के लिए कई योजनाओं की कार्यनीति लागू की जा रही है। कार्यनीति को अमल में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन एक प्रभावशाली तंत्र है। इसी नीति का अति प्रभावात्मक कदम है कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान हिंदी भाषा के कार्यान्वयन में अपने अपने कार्यक्षेत्र में किए गए सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए विभिन्न निर्धारित स्तर पर पुरस्कार प्रदान करने की योजना बनाई है। यह योजना भारत भर के सरकारी एवं गैर सरकारी हिंदी प्रेमियों में नए उमंग एवं ऊर्जा भरने में सक्षम एवं उत्कृष्ट योजना है।

राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन पर बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक/नगर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति/हिंदी गृह पत्रिकाओं/मौलिक रचनाओं के लेखकों आदि को विविध योजनाओं के अधीन पुरस्कारों से सम्मानित करते आ रहे हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालय/विभाग के अधीन 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय/ विभाग के लिए और 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय/विभाग के लिए तीन–तीन पुरस्कार, 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए अलग–अलग तीन–तीन पुरस्कार, 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी के लिए तीन–तीन पुरस्कार, राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान (केवल मुख्यालय को) 800 से कम कार्मिक वाले एवं 800 से अधिक कार्मिक वाले को तीन–तीन पुरस्कार, 'क', 'ख' 'ग' क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए दो–दो प्रथम और दो–दो द्वितीय पुरस्कार, गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारः जो कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रत्येक भाषाई क्षेत्र ''क'',''ख'' एवं ''ग'' दो–दो पुरस्कार, ज्ञान और विज्ञान आधारित विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक लिखने के लिए भारत के नागरिकों के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अधीन केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवा–निवृत्त सहित) के लिए तीन राजभाषा गौरव पुरस्कार, भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अधीन तीन पुरस्कार; यह पुरस्कार तकनीकी/विज्ञान से जुड़े हिन्दी भाषा के पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसमें उन पुस्तकों को लिया जाता है, जो प्रथम बार प्रकाशित हुई हो। किसी अन्य पुस्तक का अनुवाद न हो, एवं हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए और हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए उत्कृष्ठ लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार अलग–अलग तीन पुरस्कारों सहित कुल मिलाकर 60 पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा दिवस के आयोजन के दौरान राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र देकर पुरस्कारों को सम्मानित किया गया।

इसके साथ प्रति वर्ष उत्तर–1 और उत्तर–2 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार, मध्य व पश्चिम क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय राजभाषाा पुरस्कार, पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार तथा दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रों के लिए राजभाषा पुरस्कार भी देते हुए पूरे देश में हिंदी कार्यान्वयन पर सर्वोत्तम योगदान के लिए विशेष मान्यता प्रदान की जाती है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने और समस्त सांविधिक एवं कानूनी उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अनेक महत्वपूर्ण उत्तरद्वायित्वों का निर्वहन करता है। इन्हीं उत्तरदायित्वों की एक कड़ी के रुप में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन दिल्ली में किया जाता रहा। वर्ष 2022 में हिंदी दिवस का आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में भव्य एवं गरिमामयी स्वरूप में पहली बार दिल्ली से बाहर सूरत (गुजरात) में किया गया। हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन 14–15 सितंबर, 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, सूरत, गुजरात में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सहित माननीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा देशभर के हिंदी से जुड़े विद्वानों तथा हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कृत संगठनों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे ।

**राजभाषा कीर्ति एवं गौरव पुरस्कार वर्ष 2021–22 की घोषणा पर भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि को दिए जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में ''क'' क्षेत्र के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली को कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से निर्यात निरीक्षण परिषद के अपर निदेशक डॉ.जे.एस.रेड्डी द्वारा ग्रहण किया गया।**

मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री.अमित शाह द्वारा 14 सितंबर 2022 को गुजरात के सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह–2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि गण में शामिल थे श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल तथा अन्य माननीय अतिथि गण श्री नित्यानंद राय, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक, रेल राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, शिक्षा राज्यमंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और राजभाषा विभाग की सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में हुए हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति और बेहतर करने के बारे में चर्चा की गईं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/नराकास (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव) से लेकर राजभाषा से भारत भर में जुड़े अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा बड़ी तादाद में इस सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभागी बनकर इस सुनहरे आयोजन को सफल बनाया गया। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया ।

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि स्थानीय भाषाएं और हिंदी हमारी सांस्कृतिक धाराप्रवाह का प्राण है। हमारी संस्कृति, इतिहास और अनेक पीढ़ियों द्वारा किए गए साहित्य सृजन की आत्मा को समझने के लिए राजभाषा को सीखना ही होगा। उन्होंने कहा कि राजभाषा और स्थानीय भाषाएं मिलकर पूरे देश में से भाषायी लघुता की भावना को उखाड़कर फेंकने का समय आ गया है।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सूरत वीर नर्मद की भूमि है और शायद उन्होंने ही देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। वीर नर्मद ने ही पहले गुजराती लोगों को गर्वी गुजरात का स्वप्न दिया और सबसे पहले अंग्रेज़ों से कहा था कि इस देह का शासन और व्यवहार हिंदी में चलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी हमारे मन, राष्ट्र प्रेम और जन–जन की भाषा है और हमें इसे आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से देश में स्वभाषा में शिक्षा का बीज बोया है और देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब यह बीज वटवृक्ष बनकर देश की सभी भाषाओं को पल्लवित कर भारत को भाषा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि प्राथमिक और उससे आगे की शिक्षा स्वभाषा में और अनुसंधान, कोर्ट, मेडिकल, विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित हों।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है बल्कि भाषा अभिव्यक्ति है। आपकी क्षमता का परिचय किसी भाषा का मोहताज नहीं है और देश के युवाओं को भाषा की इस लघुता ग्रन्थी

से निकलकर अपनी स्वभाषा को स्वीकार कर इसे आगे ले जाने का काम करना चाहिए। जब तक देश के युवा अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भाषा में मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी क्षमताओं को पूर्णतया समाज के सामने नहीं रख सकता क्योंकि मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति स्वभाषा से अच्छी किसी भी अन्य भाषा में नहीं हो सकती।

राजभाषा विभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतत प्रयत्नरत है। सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली ''कंठस्थ'' का निर्माण और विकास किया है। विभाग द्वारा जनसाधारण के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिससे 14 विभिन्न भाषा भाषी अपनी अपनी मातृ भाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। माननीय गृह मंत्री ने आह्वान किया कि भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

हिंदी दिवस समारोह–2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्य द्वारा की गई। हिंदी दिवस समारोह–2022 के दौरान श्री प्रसून जोशी, अध्यक्ष, सी.बी.एफ.सी., मुम्बई की अध्यक्षता में 'युवाओं को गर्व की अनुभूति कराती हिंदी' विषय पर दोपहर का सत्र चलाया गया। अन्य सदस्य थे श्री पंकज त्रिपाठी, अभिनेता, श्री निशांत जैन, आई.ए.एस., श्री गंगा सिंह राजपूत, आई.ए.एस.।

द्वितीय दिवस में पहला सत्र का आयोजन श्री हृदय नारायण दीक्षित, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता में ''महात्मा गांधी का भाषा चिंतन और राष्ट्र के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान'' विषय पर किया गया। अन्य सदस्य गणों में प्रो.रीताबहुगुणा जोशी, सांसद, लोकसभा, प्रो.राम मोहन पाठक, पूर्व कुलपति, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, प्रो.आर.एस.दुबे, कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर सम्मिलित थे।

इसके उपरांत अगला सत्र ''भाषाई समन्वय का आधार है हिंदी'' विषय पर सुश्री पूनम बेनहेमत भाई, सांसद, लोक सभा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें शामिल अन्य सदस्य थे श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल, सांसद, लोकसभा, श्री तेजस्वी सूर्या, सांसद, लोक सभा, श्री आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।

अगला और अंतिम सत्र ''भारतीय सिनेमा और हिंदी' विषय पर डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक की सअध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सत्र में श्री महेश मांजरेकर, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एवं प्रो. संजय द्विवेदी, महा निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान के सान्निध्य रहे। तदुपरांत आयोजित समापन सत्र के साथ हिंदी दिवस समारोह–2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुभ समाप्ति हुई।

सूरत, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस समारोह–2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में निर्यात निरीक्षण परिषद से डॉ. जे. एस. रेड्डी, अपर निदेशक के साथ श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप निदेशक, श्री वसी अज़गर, सहायक निदेशक भी उपस्थित रहे। इसके अलावा समारोह में निर्यात निरीक्षण अभिकरण–दिल्ली से श्रीमती विद्योत्तमा त्रिपाठी, उप निदेशक एवं श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोच्ची से श्रीमती के.एस. जीजिमोल, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की भागीदारी हुई थी।

# कंठ से कलम तक और कलम से कंप्यूटर तक हिंदी का प्रयोग

**श्रीमति के.एस.जीजिमोल**
**कनिष्ठ हिंदी अनुवादक**
**निनिअ–कोच्ची**

राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के द्वारा रोज के कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यात निरीक्षण अभिकरण– कोच्ची, मुख्यालय एवं उप कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में एक–एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। इस प्रकरण में सितंबर 2022 माह में निनिअ–कोच्ची के मुख्यालय में **श्री कुमारपाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय** के द्वारा एक कार्यशाला का संचालन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आधारित है यह लेख।

राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में दो दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। **एक हिंदी दिवस** एवं **दूसरा विश्व हिंदी दिवस।** इस तरह से भारत में दो बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में अनेक बोलियां और अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषायी तथा सांस्कृतिक भी है। भारत में लगभग 1600 से अधिक मातृ भाषाएं प्रचलन में हैं, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गयी है। भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

संघ की एक राजभाषा मिलें। लोकतंत्र में जनकल्याण का बड़ा महत्व होता है। शासन के साथ लोगों की दूरी कम करनी चाहिए। कार्यालय में एक लक्ष्य सामने होना चाहिए। सभी कार्मिकों को संविधान के अनुच्छेद 351 एक बार देखना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करें ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की

अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

भाषा प्रयोग का साधन है। जैसे घर में मातृभाषा और दफ्तर में राजभाषा। हिंदी में बोलने और लिखने का माहौल बने। हिंदी में विचारों की अभिव्यक्ति की झिझक दूर हो जानी है।

**विश्व हिन्दी दिवस** : हर साल 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 में नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे हर साल मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। विश्व में हिन्दी का विकास करने और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित–प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलनों की शुरुआत की गई।

आज दुनिया के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। अगर हम भारतीय हिंदी की शक्ति को ठीक से पहचानें तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बन जाएगी। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि देशों में हिंदी बोली–समझी जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है. जिसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई बार मांग भी उठाई जाती रही है। हिंदी भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले या न मिले, यह सोचने वाली बात है, लेकिन दुनिया में हिंदी भाषा का तेजी से प्रचार हो रहा है।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने की मुहिम की शुरूआत भारत के नागपुर में 10 जनवरी, 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल, यूएन वेबसाइट पर अब हिंदी में मिल सकेगी जानकारी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यु. एन. जनरल एसेंब्ली) ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र (यु.एन.) के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं जैसे– हिंदी में भी जारी किया जाए। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था।

2018 से ही करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में ट्विटर अकाउंट और न्यूज पोर्टल शुरू किया था। हर हफ्ते संयुक्त राष्ट्र का एक हिंदी ऑडियो बुलेटिन जारी होता है। अरबी, चायनीज, फ्रेंच, रूसी, स्पैनिश और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकामी भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच शामिल हैं। लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है अब से यूएन की वेबसाइट पर हिंदी में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

आजादी के 75 वीं वर्षगांठ 15 अगस्त, 2022 को मनाया गया है। यह स्वाधीनता, नए विचारों, संकल्पों एवं आत्मनिर्भरता का अमृत महोत्सव भी हैं। हमने कई योजनाएं बनायीं। लेकिन इसमें पूरी तरह से सफल न होने का कारण बहुत हैं। जैसे श्री हरिवंशराय बच्चन की सुप्रसिद्ध कविता 'मधुशाला' में कवि कहते हैं:

**चलने ही चलने में कितना जीवन, हाय, बिता डाला!**
**'दूर अभी है', पर, कहता है हर पथ बतलाने वाला,**
**हिम्मत है न बढ़ूँ आगे को साहस है न फिरुँ पीछे,**
**किंकर्तव्यविमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला।।**

हमें सही रास्ता का पता नहीं है। हम किंकर्तव्यविमूढ़ रह जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की असमंजस्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आत्म विश्वास की कमी या तो मानसिक/व्यक्तिगत कारण हो सकता है। या तो चाहे तकनीकी/वित्तीय/वैज्ञानिक/कूटनीति/नियम/लेखा परीक्षा के विषय में हो, सामने का लक्ष्य एकदम स्पष्ट दिखाई देना आवश्यक है। उसे हरदम हासिल करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का स्पष्ट चित्र सभी के ज्ञान में लाने की क्षमता होनी चाहिए। तब तो कवि के अनुसार **''और बढा चल, पथिक, न तुझको दूर लगेगी मधुशाला''।**

राजभाषा नियम और अधिनियम बनाए गए। संघ का कर्तव्य माने 'हम और आप' का कर्तव्य है। हिंदी के प्रति लोगों को आकर्षित करना है। इसके लिए योजनाएं बनानी है। अपनी राजभाषा नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयुक्त स्मृति विज्ञान से प्रेरणा लेकर ''प्र'' से शुरू होने वाले 12 स्तंभों पर आधारित रूपरेखा और कार्यनीति तैयार की गई हैं, जो कि नीचे विस्तृत हैं :

**1. प्रशिक्षण**: वर्ष 1960 में भारत के राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया और ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सेवा में आएंगे उनके लिए हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। आशुलिपिक और लिपिक की प्रयोज्यता विलुप्त होने लगी है। ज़माना बदल रहा है। टाइपराइटर चला गया है। मूल विषय पर चाहे निरीक्षण/प्रयोगशाला/लेखा से संबंधित हो प्रशिक्षण देना चाहें तो प्रशिक्षण केंद्रों की सहायता से हिंदी के माध्यम से करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी के माध्यम से बार बार समझाए जाने पर वे तकनीकी शब्दावलियों का परिचय प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास की जरुरत पड़ती है। प्रशिक्षण असफलता को सफलता में और निराशा को आशा में बदल देता है। महान कवि वृन्द के इस दोहे में निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माने जाने वाले कार्य भी सिद्ध होने का वर्णन मिलता है:

**''करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान**
**रसरी आवत जात ते, सिल पर होत निशान''**

इसका अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार कुएँ के पत्थर पर बारी–बारी से रस्सी खींचने से निशान पड़ जाते हैं उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से जडमति बुद्धि भी सुजान बन जाती है।

मान लो कि प्रशिक्षण मिल गया, लेकिन प्रयोग में नहीं लाते तो फायदा क्या है। प्रशिक्षण प्राप्त होने के बावजूद अपने द्वारा किए जा रहे पत्राचार या इ–मेलों को भेजते वक्त प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का अभ्यास

न करने पर अर्जित ज्ञान भूल जाएंगे। बल्कि बार–बार प्रयोग करके उसमें प्रवीणता प्राप्त करने तक अभ्यास करते रहने से लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो जाता है।

**2. प्रयोग** : मौलिक रूप से काम हिंदी में करना है। मूलतः अंग्रेज़ी में करते हुए हिन्दी में अनुवाद करना नहीं बदले में हिंदी में मौलिक रूप से करना और चाहें तो अंग्रेज़ी में अनुवाद करना चाहिए। इसके लिए मशीनी अनुवाद से काफी मदद मिलेगी। इससे टिप्पणी लिखते समय या रजिस्टर लिखते समय जहां आपको सहायता चाहिए गूगल या राजभाषा विभाग की वेबसाइट से सहायता प्राप्त हो सकती है।

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए है। वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। पत्राचार का लक्ष्य ''ग'' क्षेत्र के लिए 55% निर्धारित है, लेकिन परम लक्ष्य इससे परे हैं। लक्ष्य मौलिक रूप से हिंदी का प्रयोग है। हिंदी में रोज के कामकाज को निभाना है तो मौलिक रूप से करना है, न कि अनुवाद करवाकर करना। हमें सोचना चाहिए कि संविधान के प्रति हमारा क्या योगदान है।

टिप्पणी लिखने पर मौलिक रूप से कितने कर रहे हैं। इसका पता करना है और मौलिक रूप से करने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए। इन्हें आगे लेना है। निर्धारित प्रतिशत पर ध्यान देना नहीं है। परम लक्ष्य मूल रूप से कर्तव्य पालन है।

रजिस्टर में सत्यापन शत प्रतिशत हिंदी में करनी है। सेवा पंजियों में वेतनमान/वेतन वृद्धि/ पदोन्नती/ एलटीसी/ सत्यापन/ छोटी या बडी टिप्पणियां सौ प्रतिशत हिंदी में लिखी जाए। प्रयोग के लिए दो या तीन स्थितियां हैं 1. पत्र द्विभाषिक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2. टिप्पणियां द्विभाषी में नहीं लिखनी चाहिए। 3. धारा 3(3) के अधीन के दस्तावेज़ जैसे कि अधिसूचना/ रिपोर्ट तकनीकी हो / अखबार में सूचना/ विज्ञापन/ विज्ञप्ति /कोड/ मैनुअल आदि हिंदी समाचार पत्रों में हिंदी में और अंग्रेज़ी पत्रों में अंग्रेज़ी में । प्रमाणपत्र /ए.एम.सी./ निविदा सूचनाएं /दस्तावेज़/ फार्म/ सूचना चाहे अखबार / पोर्टल/ वेबसाइट में हो दोनों भाषाओं में होना है।

**3. प्रसारः** 1. जितने भी अनुभाग हो या विषय हो सब कहीं हिंदी का प्रचार हो। भारत में ही नहीं विदेश में भी भाषा का प्रसार हो। संपर्क/ समन्वय एवं आपसी सहयोग हो भाषा का प्रसार होना है।

**4. प्रचारः** हिंदी सहज एवं सरल भाषा है। इसके प्रचार के लिए महान लोगों के कथन को उपयोग में लाया जाए। हिंदी का प्रचार केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि मल्टी नैशनल कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार के लिए करती आ रही हैं। आजकल ऐमाजॉन अपना विज्ञापन हिंदी में भी दे रहे हैं।

**5. प्रबंधन** : प्रबंधन ठीक से हो तो सारे कार्य व्यवस्थित ढंग से हो जाएंगे। रिपोर्टें समय पर अपलोड की जानी चाहिए। हिंदी में टाईप करने/वॉइस टाइप करने का प्रबंधन हो। प्रबंधन/ प्रस्तुति अच्छा न हो तो परिणाम अच्छा न होगा। प्रबंधन बेहतरीन होना चाहिए।

**सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी** : सभी कंप्यूटरों पर हिंदी यूनीकोड की स्थापना हो। पीपीटी हिंदी में तैयार करना। किसी भी सॉफ्टवेयर बनवाएं तो उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी में काम करने की सुविधा हो। पूरी तरह से इनपुट–आउटपुट द्विभाषी में होना चाहिए। वेबसाइट में पूरा कार्य द्विभाषी में हो।

**7. प्रोत्साहनः** राजभाषा का मौलिक प्रयोग अपने रोज के कार्य में करने वालों को प्रोत्साहित करना है। उन्हें वार्षिक तौर पर प्रमाणपत्र देकर सम्मानित करना चाहिए। राजभाषा विभाग की ओर से मूल काम हिंदी में करने वालों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार योजना लागू की जानी

चाहिए। इससे वर्ष में 10 कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके अलावा भी विभाग अपनी तरफ से प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा सकती हैं। इस तरह हिंदी दिवस/पखवाडा समारोह के सिलसिले में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए।

**8. प्रेरणा** : अंग्रेज़ी में काम करने वालों को हिंदी में काम शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए प्रभावात्मक कदम यह होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हिंदी में मूल काम करते हुए अपने अधीनस्थ कार्मिकों का पथप्रदर्शन। केवल बात करने या सलाह देने से नहीं, व्यवहार में इसका उपयोग करके एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनें।

**9. प्रमोशन (पदोन्नति)** : पदोन्नति पर विचार करते समय राजभाषा में मौलिक कार्य करने वालों को वेटेज देना एक प्रभावात्मक कदम होगा।

**10. प्रेम** : राजभाषा कार्यान्वयन विनम्रता और प्रेम से करना होगा।

**11. प्रतिबद्धताः** अंततः यह जागरूकता होनी चाहिए कि राजभाषा के माध्यम से सरकारी काम निभाना अपने संविधान के प्रति केंद्र सरकारी कार्मिकों की प्रतिबद्धता है।

**12. प्रयास** : हिंदी में कार्य करने का प्रयास होना चाहिए। अन्य दायित्वों के समान राजभाषा हिंदी में यथासंभव काम करना केंद्र सरकारी कार्मिकों का दायित्व है। की इच्छाशक्ति किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे तकनीकी काम हो या लेखा से संबंधित हो, चार बार हिंदी में करने का प्रयास करके देखो; संभव हो जाता है। इसके लिए कार्मिकों को इच्छाशक्ति को प्रखर बनाकर रखनी चाहिए। बच्चन जी की कविता से प्रेरणा लेते हुए बार–बार अभ्यास करने एवं एवं अंत में सफल होने के लिए कोशिश करें।

"लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती ।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ?
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है ।
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है ?
मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है ।
चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है ?
मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती ।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ?"

विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 करोड़ लोग हैं। यह तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1.12 अरब बोलने वालों की संख्या के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है। चीनी भाषा मंदारिन बोलने वाले करीब 1.10 अरब हैं। हिंदी जानने, समझने और बोलने वालों की बढ़ती संख्या के चलते अब विश्व भर की वेबसाइट हिंदी को भी महत्व दे रही हैं। ईमेल, ईकॉमर्स, ईबुक, इंटरनेट, एसएमएस एवं वेब जगत में हिंदी को बड़ी सहजता से पाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आइबीएम तथा ओरेकल जैसी कंपनियां अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए हिंदी प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं।

एक अध्ययन के मुताबिक हिंदी सामग्री की खपत करीब 94 फीसद तक बढ़ी है। हर पांच में एक व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट प्रयोग करता है। फेसबुक, ट्विटर और वाट्स एप में हिंदी में लिख सकते हैं। इसके लिए गूगल हिंदी इनपुट, लिपिक डॉट इन, जैसे अनेक सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। हिंदी–अंग्रेजी अनुवाद भी संभव है।

देश में 25 से अधिक पत्र– पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के 'हम एफ–एम' सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डायचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि राजभाषा कार्यान्वयन कंठ से कलम तक और कलम से कंप्यूटर तक होना है। अपना काम हिंदी में करें। हिंदी में करने का प्रण लें और पालन करें। अनुसंधान पेपर चाहे सामान्य विषय हो या तकनीकी विषय हो हिंदी में अवश्य लिखें।

# निर्यात निरीक्षण परिषद की गतिविधियां: अप्रैल 2022- सितंबर 2022

1. निनिप और यूएस–एफडीए इंडिया कार्यालय के बीच 29 अप्रैल, 2022 को निनिप में एक बैठक आयोजित की गई थी। श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, डीओसी और निदेशक (आई एंड क्यू/सी), निनिप और डॉ सारा मैकमुलेन, कंट्री डायरेक्टर, यूएस एफडीए इंडिया ऑफिस, बैठक के दौरान उपस्थित थे और सहयोग के भावी क्षेत्रों पर चर्चा की।

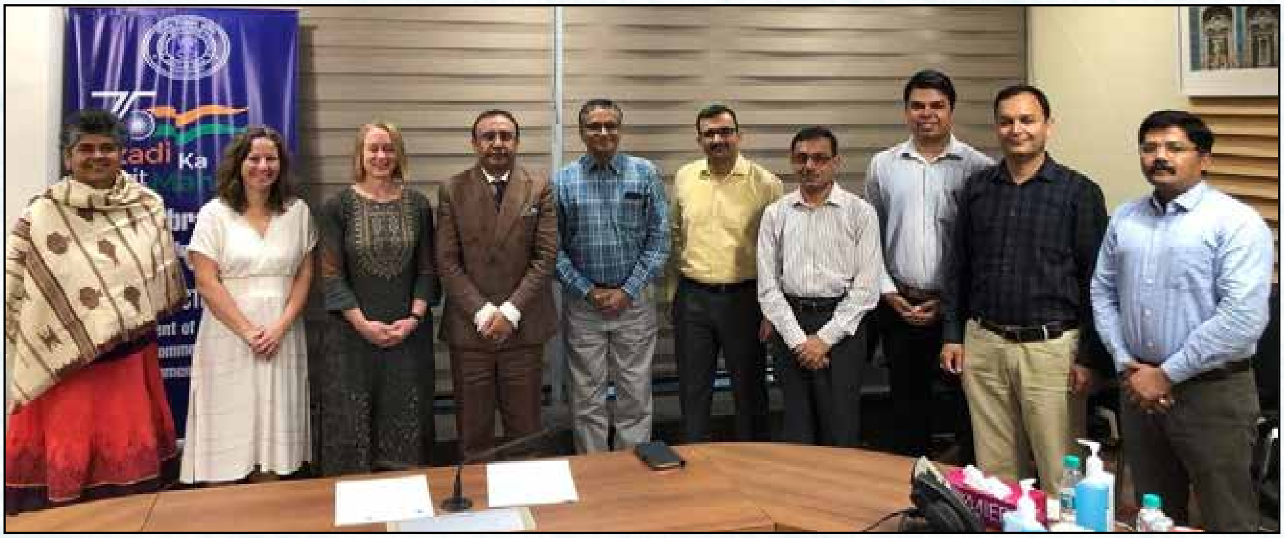

2. 26 अप्रैल, 2022 को आयोजित दूसरी आवधिक लेखापरीक्षा के दौरान, डीएनवी द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण जारी रखने के लिए निनिप की सफलतापूर्वक सिफारिश की गई थी, जबकि निनिअ कोच्चि को आईएसओ 17020:2012 के तहत मौजूदा दायरे के अनुसार पुनः प्रत्यायन के लिए सिफारिश की गई थी। प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा 07–08 अप्रैल, 2022 के दौरान ऑडिट किया गया।

3. निनिप के अधिकारी ने 06 मई 2022 को रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात–सीईपीए के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते के तहत मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के नियमों और प्रक्रिया पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। इसके बाद, रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए भारत–यूएई सीईपीए के तहत उत्पत्ति के प्रमाण पत्र पर जागरूकता कार्यक्रम निनिअ–मुंबई द्वारा 19 मई 2022 और निनिअ–दिल्ली द्वारा 20 मई 2022 को आयोजित किए गए। भारत–यूएई समझौता 1 मई, 2022 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते के तहत रत्न और आभूषण के निर्यातकों को सीओओ जारी करने के नियमों और प्रक्रियाओं पर स्पष्टता दी गई, जिससे निर्यातकों को इस समझौते का लाभ मिल रहा है।

4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोच्चि, एफएओ–श्रीलंका द्वारा जैव सुरक्षा क्षमता निर्माण परियोजना के तहत, श्रीलंका के प्रतिभागियों के लिए 13 जून से 16 जून 2022 तक 'आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों /

जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने' पर प्रयोगशाला प्रशिक्षण आयोजित किया गया। चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निनिप और निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण संयुक्त रूप से ईआईसी, खाद्य और कृषि संगठन, पर्यावरण मंत्रालय श्रीलंका सरकार और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के प्रतिभागियों में श्रीलंका सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। खाद्य वस्तुओं में जीएमओ/एलएमओ का पता लगाने में शामिल आधुनिक उपकरणों और तकनीकों पर जोर देते हुए निनिअ अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

5. निर्यात निरीक्षण एजेंसी– कोच्चि को 2020–21 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) – कोच्चि द्वारा 28.06.2022 को राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

6. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2022 (आईडीवाई–2022) के अवसर पर 21 जून, 2022 को निनिप और सभी निनिअ द्वारा योग सत्र आयोजित किए गए। आईडीवाई लोगो निनिप वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था जबकि निनिप और निनिअ द्वारा आयोजित योग गतिविधियों को निनिप के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों ने भी निनिअ द्वारा आयोजित योग सत्रों में भाग लिया।

7. 75वां स्वतंत्रता दिवस निनिप और उप–कार्यालयों सहित सभी निनिअ में मनाया गया। इसी क्रम में– भारत की आजादी के 75 गौरवशाली वर्षों के अवसर को मनाने के लिए, "हर घर तिरंगा–आजादी का अमृत महोत्सव" का अभियान 13–15 अगस्त 2022 के दौरान निनिप और निनिअ में वाणिज्य विभाग के निर्देश के अनुसार मनाया गया।

8. निनिप ने यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) के सहयोग से पूरे भारत में 22.08.2022 से 29.08.2022 तक एफडीए आयात संचालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम निनिप में आयोजित किए गए, और क्रमानुसार मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, कुल 300 से अधिक निर्यातकों/नियामकों को आवश्यकताओं से अवगत कराया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपालन उत्पादों को यू.एस. में आयात के लिए पेश किया जाता है।

9. निर्यात निरिक्षण परिषद् (निनिप) को 2021–22 के लिए सर्वोत्तम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है! ये पुरस्कार दिनांक 14.09.2022 को दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन, सूरत (गुजरात) के दौरान गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के करकमलो से डॉ जे.एस. रेड्डी, अपर निदेशक, निनिप, ने प्राप्त किया।

10. निनिप और निनिअ में 14 से 28 सितंबर, 2022 तक "हिंदी दिवस/पखवाड़ा" मनाया गया। हिंदी कार्यशालाओं के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। अनुवाद प्रतियोगिता, स्मरण प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

# निर्यात निरीक्षण परिषद एवं अभिकरणों में हिंदी दिवस / पखवाड़े 2022 का आयोजन

**पखवाड़े का शुभारंभ–**

गृह मंत्रालय, भारत–सरकार के राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार एवं कार्यक्रमानुसार, अपर निदेशक के आवश्यक अनुमोदनानुसार विगत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी ऐतिहासिक पर्व हिंदी दिवस पखवाड़े का आयोजन 14 सितम्बर 2022 से 28 सितम्बर 2022 तक बडे हर्षोउल्लास एवं परम्परागत रूप से परिषद कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समान रूप से मनाया गया। कार्यालय के मुख्य द्वार पर एवं समिति कक्ष में संबंधित पखवाड़े के आयोजन के बैनर लगाए गए, सभी अधिकारी/कर्मचारियों में इस समारोह के लिए विशेष उत्साह था। दिनाँक **14 सितम्बर 2022 को पखवाड़े के शुभारंभ** पर 11.00 बजे प्रातः संयुक्त निदेशक डॉ. आनंद गुप्ता जी की उपस्थिति में ऐतिहासिक पर्व हिंदी दिवस पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। सभी अधिकारी/कर्मचारियों ने आयोजित समारोह पर करतल ध्वनि से आगाज किया।

समारोह पर अपर निदेशक महोदय, डॉ. जे. एस. रेड्डी जी का सारंगर्भित संदेश सहायक निदेशक श्री प्रमोद सिवाच जी ने सभी उपस्थिति कार्मिकों के समक्ष पढा, संदेश की एक प्रति अभिलेख के रूप में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में वितरित की गई। संयुक्त निदेशक महोदय ने सभी कार्मिकों को सम्बोधित कर हिंदी दिवस के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते पखवाड़े की महत्वता को बताते हुए विशेष पल जो हमें राजभाषा हिंदी से जोड़ता है तथा मर्म हृदय को भाव–विभोर करता है, तथा विशेष रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तथा सभी उपस्थिति कार्मिकों को पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में बढ–चढकर भाग लेने का सुझाव दिया, कहा कि आपके अमूल्य सहयोग से हिंदी दिवस पखवाड़े गरिमा को सफल बनाया जा सकेगा। पखवाड़े के दौरान **निबंध/टिप्पण/स्मरण/अनुवाद/वाद–विवाद प्रतियोगिताएं** आयोजित की गई। सफल प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों की प्रतिभा का आंकन हिंदी दिवस के चयनित निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार विजेताओं का विवरण निम्न में दर्शाया गया है।

*हिंदी दिवस/पखवाडे का उदघाटन समारोह*

**पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन–**

- पखवाड़े के दौरान दिनांक 16 सितम्बर 2022 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता श्रीमती अंजू शर्मा लिपिक श्रेणी–II, द्वितीय पुरस्कार, श्री विवेक कुमार सिहं, सहायक निदेशक, तृतीय पुरस्कार, श्री चिराग गाडी, तकनीकी अधिकारी, एवं सात्वंना पुरस्कार, सुश्री रितिका, रिस्पेनिस्ट एवं श्रीमती सारिका दुआ, लिपिक श्रेणी–II को प्राप्त हुआ। दिनाँक 20 सितम्बर 2022 को स्मरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें श्रीमती अंजु शर्मा, लिपिक श्रेणी–II, द्वितीय पुरस्कार सुश्री हेताक्षी आर परमार, लिपिक श्रेणी–II, एवं तृतीय पुरस्कार सुश्री रितिका, रिस्पेनिस्ट, एवं सात्वंना पुरस्कार श्रीमती सपना मक्कर, लेखापाल, संजना राय, डीईओ को प्राप्त हुआ। दिनाँक 21 सितम्बर 2022 को अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी, तकनीकी अधिकारी, द्वितीय पुरस्कार श्री चिराग गाडी, तकनीकी अधिकारी, तृतीय पुरस्कार डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता, तकनीकी अधिकारी, सातंवना पुरस्कार श्रीमती अंजु शर्मा, सुश्री संजना राय, को प्राप्त हुआ। दिनाँक 22 सितम्बर 2022 को टिप्पण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार श्री चिराग गाडी, तकनीकी अधिकारी, द्वितीय पुरस्कार श्री विवेक कुमार सिहं, सहायक निदेशक तकनीकी, तृतीय पुरस्कार श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी, तकनीकी अधिकारी, सात्वंना पुरस्कार, श्रीमती मेघा अरोडा, श्री कुशल कुमार, सहायक निदेशक को प्राप्त हुआ। दिनाँक 28 सितम्बर 2022 को समापन समारोह पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार, श्री विवेक कुमार सिहं, सहायक निदेशक, द्वितीय सुश्री रितिका, तृतीय पुरस्कार श्री शशि प्रकाश त्रिपाठी, तकनीकी अधिकारी, सात्वंना पुरस्कार, श्रीमती मेघा अरोडा, लिपिक श्रेणी–II, श्री राजेश नाग, डीईओ को प्राप्त हुआ।

*निनिप में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन*

**पखवाड़े का समापन समारोह–**

दिनांक 28 सितम्बर 2022 को हिंदी दिवस पखवाड़े का समापन समारोह अपर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अपर निदेशक महोदय ने परिषद कार्यालय के समस्त कार्मिको को अपने सम्बोधन के द्वारा यह अवगत कराया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के दिशा–निर्देशों एवं राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अपना दैनिक कार्यालीन कार्य पूर्णतः राजभाषा हिंदी में करें, ताकि राजभाषा पत्राचार के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। आपके सराहनीय प्रयासों से यह कार्य संभव हो सकता है। हमे यह अपना नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व समझना चाहिए, तथा ऐतिहासिक पर्व हिंदी दिवस के पावन अवसर

पर हमे संकल्प लेना चाहिए, कि हम अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में ही करेगें। तथा अपर निदेशक महोदय ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा आप सभी के सहयोग से यह हिंदी दिवस पखवाड़ा सफल हो पाया है। अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक महोदय तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों के द्वारा सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गए।

समारोह के समापन पर उप निदेशक तकनीकी एवं राजभाषा प्रभारी श्री मनोज गुप्ता ने सभी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी दिवस की महत्तवता एवं विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया। इस पावन दिवस की स्मृति में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, और राजभाषा विभाग को यह दायित्व सौंपा गया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी राजभाषा में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी हेतु राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोतर प्रयोग, एवं प्रगामी प्रयोग, एवं कार्यान्वयन क्षेत्र में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पखवाड़े का आयोजन किया जाये। इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय, विभाग भी अपने कार्मिकों को हिंदी में कार्य निष्पादित करने तथा राजभाषा हिंदी के प्रति रूचि जागृत करने के लिए हिंदी दिवस पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पखवाड़े के दौरान हिंदी का प्रयोग बढाने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, नियमों/प्रावधानों पर अमल किया जाता है। हमे अपनी भाषा के प्रति लगाव प्रेम, अनुराग, राष्ट्र प्रेम तभी संभव है जब हम अपने दैनिक कार्यो में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करें, हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है।

अन्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है, कि वह अपना कार्यालय का शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में करे, यह हमारी प्राथमिकता है। पखवाड़े में सम्मिलित एवं भाग लेने पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।

*निर्यात निरीक्षण परिषद में समापन समारोह पर पुरस्कार वितरण की झलकियाँ*

**निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में हिन्दी दिवस/पखवाड़े का आयोजन**

**निर्यात निरीक्षण अभिकरण**– दिल्ली में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक **14 सितंबर 2022 से 28 सितम्बर 2022** तक हिन्दी दिवस /पखवाड़े का

आयोजन अति उत्साह के साथ किया गया। निनिअ– दिल्ली में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य के पर अपर निदेशक महोदय, निनिप के संदेश का पठन–पाठन दिनांक 14 सितंबर 2022 को किया गया।

इसके अतिरिक्त निनिअ– **दिल्ली में निबंध, टिप्पण, आलेखन, अनुवाद प्रतियोगिताएं** आयोजित की गयी। इसके साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमे श्री कुमार पाल शर्मा, उपनिदेशक के द्वारा कार्यालयों में राजभाषा का कार्यान्वयन विषय पर एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गयी।

*निनिअ–दिल्ली में प्रतियोगिताओं का आयोजन*

निनिअ– दिल्ली में हिन्दी दिवस/पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 28.09.2022 को संयुक्त निदेशक महोदय की अध्यक्षता में बहुत ही उत्कृष्ट रूप से आयोजित किया गया। संयुक्त निदेशक महोदय ने अपने भाषण में हिंदी पखवाड़ा समारोह के आयोजन से सरकार की राजभाषा नीति को तेज़ी से अमल में लाने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास को प्रोत्साहित करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य पर प्रकाश डाला और पखवाड़ा समारोह के पश्चात भी राजभाषा के कार्यान्वयन में निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग एवं बहुमूल्य सहभागिता से कार्यक्रम को सफलता से आयोजित कर सके। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को संयुक्त निदेशक महोदय के द्वारा शील्ड को पुरुस्कार के रुप में देकर सम्मानित किया।

*निनिअ– दिल्ली में पुरस्कार वितरण*

**निर्यात निरीक्षण अभिकरण**– कोच्चि के मुख्यालय एवं उपकार्यालयों में दिनांक 14.9.2022 से 28.09.2022 तक हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा समारोह–2022 का सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक आयोजन सभी सदस्यों के सहयोग से संपन्न हुआ। हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा समारोह का आयोजन कार्मिकों में रोजमर्रा के कामकाज राजभाषा हिंदी में करने की जिम्मेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया। हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने का माहौल सृजित करने हेतु राजभाषा से जुडे विभिन्न 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री रवि शंकर, संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा परंपरागत दीप प्रज्वलित करते हुए समारोह का शुभ आरंभ किया गया।अन्य उपस्थित सदस्यों के द्वारा इसमें सहभागिता हुई। गृह मंत्री जी के संदेश एवं निनिप, नई दिल्ली से प्राप्त निदेशक महोदय के संदेशों का वाचन किया गया।

*निनिअ–कोच्ची में आयोजित हिंदी दिवस का आयोजन तथा हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन परंपरागत दीप प्रज्वलित करते हुए कर रहे हैं श्री. रवि शंकर, संयुक्त निदेशक*

श्री अनूप ए. कृष्णन, सहायक निदेशक के नेतृत्व में गठित प्रतियोगिता आयोजन समिति द्वारा पखवाड़ा समारोह के दौरान 11 प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। श्रीमती अखिला वि.पि. सहायक निदेशक,सहायक निदेशक एवं श्रीमती ई.के. शार्जीना, लिपिक श्रेणी–II द्वारा प्रतिदिन आयोजित प्रतियोगिताओं को सुव्यवस्थिति तरीके से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उनके द्वारा प्रश्नपत्रों की तैयारी,प्रतिभागियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, निर्णायकों की सेवाएं उपलब्ध कराना, विविध लिखित परीक्षाओं के मूल्याँकन बाहर के विशेषज्ञों से करवाने, परिणाम घोषणा से संबंधित विविध कार्यवाही महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया। खरीदी समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजन समिति के साथ अपना सुदृढ सहयोग स्थापित करते हुए पखवाड़ा समारोह के समापन समारोह को सफलता पूर्वक आयोजित किया गया एवं सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधी जारी दिशा–निर्देशों से अवगत कराने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन भी इस दौरान किया गया।

*निनिअ–कोच्चि में पुरस्कार वितरण*

अंत में श्रीमती जिन्सीग्रेस, अनुभाग अधिकारी द्वारा उपस्थित सारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके सहयोग एवं सहकारिता से यह कार्यक्रम सफल आयोजन के लिए सभी को तहेदिल से धन्यवाद अदा किया गया। तदुपरांत राष्ट्रगान के साथ हिंदी दिवस/पखवाडा समारोह–2022 का समापन संपन्न हुआ।

इसके अतिरिक्त निनिअ–मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 14 सितंबर 2022 से 28 सितम्बर 2022 तक हिन्दी दिवस /पखवाड़े का आयोजन अति उत्साह के साथ किया गया।

# एफएओ–श्रीलंका क्षमता निर्माण पहल के भाग के रूप में बीसीआईएल और निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोच्ची, भारत द्वारा आयोजित अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों/ जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण – एक अवलोकन

निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) – कोच्ची, भारत में 13–16 जून 2022 तक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ)/जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) का पता लगाने पर व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अनुवर्ती कार्यक्रम बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) और निनिअ–कोच्ची द्वारा खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) – श्रीलंका की क्षमता निर्माण पहल के भाग के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (एजीबीसी), औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआई), राष्ट्रीय योजना संगरोध सेवा (एनपीक्यूएस), श्रीलंका प्रत्यायन बोर्ड (एसएलएबी) और केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरण (सीईए) सहित विभिन्न श्रीलंकाई संगठनों के 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

*निनिअ–कोच्ची में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों/जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण के प्रतिभागी*

*दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं श्री रवि शंकर, संयुक्त निदेशक, निनिअ–कोच्ची*

*निनिअ–कोच्ची (13 जून, 2022) में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों / जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर प्रयोगशाला प्रशिक्षण के दौरान डॉ. जे.एस. रेड्डी, अपर निदेशक, निनिप द्वारा मुख्य भाषण।*

उद्‌घाटन सत्र में श्री रवि शंकर, संयुक्त निदेशक, निनिअ–कोच्ची ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित वर्चुअल प्रशिक्षण के पूरक कार्यक्रम के दूसरे चरण के महत्व को रेखांकित किया। प्रशिक्षण की शुरुआत निनिअ अधिकारियों, विशेषज्ञों और श्रीलंकाई प्रतिभागियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद सभी प्रतिभागियों का परिचय दिया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद के अपर निदेशक डॉ. जे. एस. रेड्डी ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण दिया। उन्होंने निनिप की गतिविधियों और निनिअ–कोच्ची की आण्विक जैविक प्रयोगशाला के बारे में बताया। उन्होंने अत्याधुनिक आण्विक जैविक प्रयोगशाला बनाए रखने और एलएमओ का पता लगाने में उनकी भागीदारी के लिए निनिअ–कोच्ची के वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने जीएमओ/एलएमओ के क्षेत्र में ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। डॉ. विभा आहूजा, मुख्य महाप्रबंधक, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निनिअ–कोच्ची को धन्यवाद दिया। प्रो. प्रदीप भंडारनायके, निदेशक, एजीबीसी, श्रीलंका ने जैव सुरक्षा परियोजना एवं श्रीलंका में इसके कार्यान्वयन का अवलोकन दिया। डॉ ललिता गौड़ा, विशेषज्ञ सलाहकार, श्रीलंका ने जैव सुरक्षा परियोजना के लिए एलएमओ डिटेक्शन पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना का विवरण दिया। उद्‌घाटन सत्र डॉ. अनूप ए. कृष्णन, सहायक निदेशक, निनिअ–कोच्ची के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ।

*निनिअ–कोच्ची में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों / जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर प्रयोगशाला प्रशिक्षण के उद्‌घाटन सत्र में वक्ता गण (13 जून, 2022)*

*प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए*

*निनिअ–कोच्ची में सुविधाओं का दौरा (13 जून, 2022)*

प्रतिभागियों को तीन समूहों में सभी अनुभागों के दौरे के माध्यम से निनिअ–कोच्ची प्रयोगशाला और इसकी गतिविधियों का अवलोकन प्राप्त हुआ। तकनीकी बैठक की शुरुआत जीएमओ/एलएमओ डिटेक्शन पर वर्चुअल प्रशिक्षण के संक्षिप्त विवरण के साथ हुई, जिसका आयोजन डॉ. ललिता गौड़ा द्वारा किया गया। श्रीलंका के विभिन्न संगठनों द्वारा संबंधित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के पहले चरण पर प्रस्तुति की गई।

*जी एमओ/एलएमओ का पता लगाने में शामिल विभिन्न चरणों का व्यावहारिक प्रदर्शन (14 जून, 2022)*

तकनीकी सत्र के दूसरे दिन 6/14/2022 को, डॉ. लिजो जॉन, सहायक निदेशक, निनिअ–कोच्ची, जीएमओ/एलएमओ का पता लगाने के लिए पीसीआर के उपयोग का एक अवलोकन। प्रतिभागियों को आगे पांच के तीन समूहों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को डॉ. ललिता गौड़ा, डॉ. लिजो जॉन और डॉ. विनय कुमार द्वारा समन्वित किया गया और उप–नमूनाकरण, नमूना समरूपता, डीएनए निष्कर्षण, पीसीआर हैंडलिंग और परिणामों की व्याख्या पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।

*इंटरफील्ड प्रयोगशालाओं (लैबरटरीस), कोच्ची, भारत का दौरा (15 जून, 2022)*

*नियोजन फूड एंड सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोच्ची, भारत का दौरा (15 जून, 2022)*

प्रतिभागियों को 15/06/2022 को, दो वाणिज्यिक जीएमओ परीक्षण प्रयोगशालाओं, मैसर्स इंटरफील्ड लेबोरेटरीज, कोच्ची और मैसर्स नियोजेन फूड एंड एनिमल सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोच्ची के फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया। इन प्रयोगशालाओं में प्रतिभागियों को आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार जीएमओ परीक्षण, दस्तावेजों और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। एक प्रयोगशाला में जीएमओ का पता लगाने के लिए रैपिड किट का प्रदर्शन किया गया।

*प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया (16 जून, 2022)*

*प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण (16 जून, 2022)*

16 जून, 2022 को, डॉ ललिता गौड़ा ने जीएमओ विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली सत्यापन और सत्यापन पद्धतियों/तकनीकों पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद डॉ. लिजो जॉन द्वारा जीएमओ/एलएमओ डिटेक्शन पर सूचना संसाधनों के माध्यम से एक संवादात्मक सत्र चलाया गया। विशेषज्ञ ने नोट किया कि प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान बहुत उत्साहित थे और प्रशिक्षण के दौरान सक्रिय चर्चा में लगे रहे। प्रशिक्षण का मुख्य आकर्षण जीएमओ/एलएमओ के साथ प्रतिभागियों का व्यावहारिक अनुभव था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन श्रीलंकाई प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के साथ किया गया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण मॉड्यूल की सराहना की और व्यावहारिक पाठों के लिए निनिअ और बीसीआईएल को भी धन्यवाद दिया जो उन्हें श्रीलंका में इसे लागू करने में मदद करेंगे। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र दिया गया।

# निनिअ प्रयोगशाला - प्रवीणता परीक्षा प्रदाता

**श्री मनोज कुमार गुप्ता**
**उप निदेशक**
**निनिप**

आईएसओ :17043 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो योग्यता, निष्पक्षता और प्रवीणता परीक्षण (पीटी) प्रदाताओं के निरंतर संचालन के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। यह उन सभी संगठनों पर लागू होता है जो पीटी योजनाओं को डिजाइन, विकसित और वितरित करते हैं, जिनमें परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, निरीक्षण निकायों और संदर्भ सामग्री उत्पादकों की क्षमता का प्रदर्शन करने के साधन के रूप में पीटी का उपयोग करना शामिल है।

प्रवीणता परीक्षा प्रदाता योजनाओं के प्रबंधन, संचालन और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीटी परिणाम तुलनीय, विश्वसनीय और उनके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों। यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि पीटी प्रदाता उच्च स्तर की तकनीकी और संगठनात्मक क्षमता बनाए रखते हैं, और वे निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं जो पी.टी. में भाग लेती है वो समान विधियों, सामग्रियों और शर्तों का उपयोग करके अन्य प्रयोगशालाओं के परिणामों की तुलना करके अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पीटी का उपयोग करती हैं। पीटी कार्यक्रमों में भाग लेकर, ये प्रयोगशालाएं कमजोरियों के क्षेत्र की पहचान कर सकती हैं, और ग्राहकों, नियामकों और मान्यता निकायों को अपनी क्षमता का प्रमाण प्रदान कर सकती हैं।

जिन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ जो आईएसओ/आईईसी:17025 मानक से मान्यता प्राप्त हैं और आईएसओः 17043 से मान्यता प्राप्त पीटी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, वो प्रदर्शित कर सकती हैं कि ग्राहकों को परिशुद्ध और सटीक परिणाम देने के लिए उनके पास आवश्यक तकनीकी क्षमता और निष्पक्षता है।

**निर्यात निरीक्षण अभिकरणों की प्रयोगशाला प्रवीणता परीक्षण प्रदाता के रूप मे :–**

निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) पीटी राउंड एक ईआईए प्रयोगशाला द्वारा पेश किया जाने वाला एक प्रवीणता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रम है जो निर्यात उत्पादों के निरीक्षण और प्रमाणन में शामिल अन्य प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ईआईए प्रयोगशाला पीटी योजना को अपने दायरेनुसार डिजाइन और विकसित करती है, जिसमें आम तौर पर नमूने या परीक्षण सामग्री का एक सेट शामिल होता है। पीटी दौर में नमूने तैयार करने और उनका विश्लेषण करने के निर्देश के साथ–साथ परिणाम जमा करने की समय सीमा भी शामिल है।

भागीदार प्रयोगशाला द्वारा नमूने की जांच करने के बाद उसके टेस्ट परिणाम प्रवीणता परीक्षा प्रदाता को निश्चित तिथि के पहले प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत रिजल्ट के अनुसार हर एक प्रयोगशाला (प्रतिभागी) को **जेड – स्कोर** प्रदान किया जाता है। **जेड– स्कोर** प्रयोगशाला की क्षमता को दर्शाता है।

अगर जेड–स्कोर $\pm 2$ के अंतर्गत है तो उसका अर्थ है की प्रतिभागी प्रयोगशाला की क्षमता संतोषजनक है और अगर जेड–स्कोर $\pm 2$ से ज्यादा है तो उसका अर्थ प्रतिभागी की क्षमता असंतोषजनक है। अगर जेड–स्कोर $\pm 3$ है तो इसका अर्थ प्रतिभागी प्रयोगशाला की क्षमता विचारणीय है।

परिणामों का मूल्यांकन करने से पहले निनिअ प्रवीणता प्राप्त प्रदाता यह सुनिश्चित करता है की नमूना सही समय पर और सही स्थिति में प्रतिभागियों को मिल गया है।

आज के समय में भारत में खाद्य क्षेत्र में प्रवीणता परीक्षा प्रदाता की लगभग 30 प्रयोगशालाएँ है। इसमे निनिअ की चार प्रयोगशालाओं को प्रवीणता परीक्षा प्रदाता आई.एस.ओ. :17043 के अनुसार मान्यता प्राप्त है जो की अपने में ही एक अद्वितीय बात है।

ये चार प्रयोगशालाएँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोच्चि में स्थित है। इन प्रयोगशाला के प्रवीणता परीक्षा का दायरा निम्नलिखित है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | निनिअ–चेन्नई | – | सूक्ष्म जीव विज्ञान |
| 2. | निनिअ–मुंबई | – | एंटीबायोटिक |
| 3. | निनिअ–कोलकाता | – | हैवी मेटल |
| 4. | निनिअ–कोच्चि | – | जीएमओ |

निर्यात निरीक्षण अभिकरण की प्रयोगशाला हर साल जनवरी महीने में अपना प्रवीणता परीक्षा का कैलेंडर जारी करता है जो प्रयोगशाला अपने दायरे के अनुसार पीटी में भाग ले सकते है। इसमे भाग लेने के लिए प्रयोगशाला को आवेदन करना होता है। आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के तत्पश्चात निनिअ प्रवीणता परीक्षा प्रयोगशाला पीटी राउंड आयोजित करती है।

**प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने के लाभ /महत्वपूर्णता :–**

प्रवीणता परीक्षण (पीटी) में भागीदारी परीक्षण कई लाभ प्रदान करता है जैसे :–

- **कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करना:** पीटी परीक्षण में भाग लेकर, प्रयोगशालाएं अपने परीक्षण या अंशांकन प्रक्रियाओं में कमजोरी के किसी क्षेत्र की पहचान कर सकती हैं और उनका पता लगा सकती हैं, और अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं।
- **प्रदर्शन क्षमता:** पीटी परीक्षण का उपयोग ग्राहकों, नियामकों और मान्यता निकायों को प्रयोगशाला की क्षमता प्रदर्शित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है।
- **गुणवत्ता में सुधार:** पीटी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि प्रयोगशाला के परिणाम परिशुद्ध, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जो परीक्षण या अंशांकन सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तथा अपने ग्राहकों, सहकर्मियों और मान्यता निकायों को प्रदर्शित करता है की प्रयोगशाला गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है।
- **निष्पक्षता बनाए रखना:** पीटी परीक्षण यह दिखा कर प्रयोगशालाओं को निष्पक्षता बनाए रखने में मदद कर सकता है कि परिणाम आंतरिक या बाहरी कारकों से पक्षपाती नहीं हैं। प्रयोगशाला के कर्मचारियों को गलत परिणामों के प्रभाव को बेहतर समझने मे शिक्षित करता है। कर्मचारियों को उनकी प्रयोगशाला के प्रदर्शन की अंतदृष्टि प्रदान करता है।

# भारत द्वारा निर्यातित बासमती चावल में कीटनाशक अवशेष एक समस्या

**श्री सुरेश सिंह चौहान,**
**उप–निदेशक (तकनीकी),**
**निर्यात निरीक्षण अभिकरण–दिल्ली**

साठ के दशक के बाद हरित क्रांति की शुरुआत के साथ ही देश में रसायन उर्वरको, कीटनाशक व फफूंदनाशक दवाओं और संकर बीजों इत्यादी के इस्तेमाल से हरित क्रांति का बिगुल बजा था। इसके फलस्वरुप पैदावर में तो खूब इजाफा हुआ लेकिन आज यह स्थिती है कि इन रसायनो से खेत–खलियान, मानव, पशु–पक्षी और पर्यावरण, को नुकसान होता जा रहा है। नकली कीटनाशकों के प्रयोग से भी मृदा पर हानिकारक एंव प्रभाव काफी सालों तक बना रहता है, जिसके फलस्वरुप उपजाऊ कृषि योग्य भूमी उसर बंजर होती जा रही है।

स्वास्थ्य संबधी जागरुकता के कारण पूरी दुनिया में धीरे–धीरे रसायनिक अवशेषो से मुक्त कृषि उत्पादों और जैविक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। जिस तेजी से हमारे देश में कीट–नाशको व उर्वरको का प्रयोग बढ़ा है वह हमारे सुरक्षित कृषि उत्पादों तथा निर्यात के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बनता जा रहा है।

अनाज, धान्य, दालों, सब्जियों एवं फलो इत्यादि की फसलों पर कीट एंव रोग नियंत्रण हेतू हानिकारक कीट–नाशको एंव अन्य विषैले रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मानव शरीर पर त्वरित एंव प्रतिकूल प्रभाव जैसे त्वचा व पेट सम्बन्धी बीमारियॉ, जी मिचलाना एंव कैंसर जैसी धातक बीमारियॉ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रुप से कमजोर कर रही है। इसके साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला के जीव–जन्तु जो की कृषि तंत्र में महत्वपूर्ण मित्र कीटों की भूमिका निभाते है वह विलुप्त होने की कगार पर पंहुच गये है।

चिंता का विषय यह भी है की जहाँ दुनिया के कई विकसित देशो ने अपने देशो में हानिकारक रसायनो के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके फलस्वरुप भारत से कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। भारत से यूरोपियन देशो को निर्यात होने वाले बासमती चावल के निर्यात में भी गिरावट देखी जा रही है।

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढाने के लिए किसानो को सुरक्षित कीटनाशको व फफुंदनाशको का संतुलित उपयोग केवल कृषि वैज्ञानिको की सलाह से ही करना चाहिए ताकि वह कीटों एवं रोगो की सटीक पहचान कर सही एंव संतुलित कीटनाशको एंव जैविक रसायनो का उपयोग की सिफारिश कर सकें।

प्रायः यह देखा गया है कि पेस्टिसाइड कम्पनियां दुकानदारों को अधिक बिक्री करने के लिए कई

तरह के प्रलोभन देती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुकानदार रसायनिक उत्पादो की अंधाधुंध ब्रिकी कर किसानों को निधार्रित मात्रा से अधिक रसायनो उपयोग करने हेतू गुमराह करते है जिसके फलस्वरुप किसान जागरुकता के अभाव में सही कीटनाशको का सुरक्षित एंव निर्धारित तथा विवेकपूर्ण उपयोग नही करते है, जिसके कारण खाद्य पदार्थो एवं बासमती चावल की खेपों में पेस्टीसाइड रसायन अवशेष मिलने का मुख्य कारण रहता है।

भारत में बासमती चावल के भौगोलिक संकेत (जी.आई टैग) क्षेत्रो के अनुसार हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदानो के सात राज्यो मे उगाई जाने वाली बासमती चावल की किस्मो जो कि जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एंव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सो में उगाई जाती है। यह टैग अंतरराष्ट्रीय बाजारो में भारत के सुगंधित बासमती चावल की विशिष्ट पहचान है।

भारत द्वारा बासमती चावल के उत्पादन का मुख्यतः निर्यात किया जा रहा है। बासमती चावल मे मुख्यतः तना बेधक, ब्राउन प्लांट हॉपर, एंव लीफ रैपर इत्यादी कीटों एंव बैक्टिरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोग, रस्ट, स्मट, करनाल बंट एंव अन्य बीमारीयों की रोकथाम के लिए बासमती उत्पादक किसानो द्वारा बासमती की फसलों में कीट एंव रोगों के प्रबधन हेतू पेस्टिसाइड रसायनो का उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, सही रसायन के चुनाव एंव उपयोग करने की विधि की अनभिज्ञता, नकली रसायनो का प्रयोग व रोग प्रतिरोधी किस्मों के चयन की जानकारी का अभाव, गांवो में दूर–दराज तक बासमती के किसानो तक कृषि वैज्ञानिक विधियो के विस्तार की कमी, बासमती चावल में जैव कीटनाशकों के उपयोग की सही जानकारी का अभाव बासमती चावल में पेस्टिसाइडस रसायनो के अवशेषों के मिलने का मुख्य कारण रहा है।

जिसके चलते यूरोपीय संघ की ओर से बासमती चावल में कुछ रसायनों के उपयोग और कुछ मामलों में आयातकों ने बासमती चावल की खेपों की अस्वीकृति को लेकर चिंता जताई है एंव कई पेस्टिसाइडस की अवशेष सीमा (एम.आर.एल.) को घटाकर 0.01 पी.पी.एम. कर दिया है, इसलिए, बासमती चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए इस मुददे को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा बासमती चावल की कई रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई है जैसे बासमती 1401 को सुधार लाकर बासमती 1886, बासमती 1509 को सुधार कर बासमती 1847, बासमती 1121 को सुधार कर बासमती 1885 आदि नई किस्मों को बनाया है, यह किस्मे जीवाणु झुलसा रोग (बैक्टिीरियल लीफ ब्लाइट) एंव झोका रोग (ब्लास्ट रोग) एंव अन्य बीमारीयों से सहनशील होती है। इन किस्मों के प्रयोग से बासमती की खेती करने वाले किसानों को हानिकारक पेस्टिसाइड रसायनों के प्रयोग को उपयोग नही करना पडता है।

बासमती चावल के उत्पादक किसानों एंव निर्यातको को चाहिए की अनुबंध खेती में किसान द्वारा कृषि की आवश्यक कृषि पद्धतियाँ जैसे, मृदा की तैयारी एंव मृदा उपचार, रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का चुनाव, बीजोंपचार, सही समय पर बीज बुवाई अथवा पौध की रोपाई, आवश्यक सिंचाई प्रबंधन, कृषि–पारिस्थिकी की तंत्र विश्लेषण, खरपतवार प्रबंधन, मिश्रित फसल पद्धति अथवा फसल चक्र परिवर्तन, एकीकृत कीट एंव रोग प्रबंधन, बायोफर्टिलाइजरस एंव जैविक रसायनो के आवश्यक एंव संतुलित प्रयोग, खरीफ फसलों की उचित निगरानी, एंव सही परिपक्वता पर फसलो की कटाई, धान का सही भंडारण, सुरक्षित परिवहन, सही उत्पादन कार्य प्रणाली, प्रशिक्षित पर्यवेक्षको द्वारा प्रसंस्करण, एंव तैयार माल का भौतिक और रसायनिक परीक्षण कर ही बासमती चावल में मिलने वाले पेस्टिसाइड रसायनो के अवशेषों को नियंत्रण एंव प्रबंधन किया जा सकता है।

# कार्यशाला का महत्व

**श्री वसी असगर**
**सहायक निदेशक**
**निनिप, नई दिल्ली**

त्रैमासिक हिन्दी कार्यशाला होती है हर बार!
होता है 'वसी' यूंही हिन्दी का प्रचार!

दस शब्दों का ज्ञान दिया जो सारे 'प' से बनते हैं।
हृदय में उतरे हैं सारे और होठों पे सजते है।

**'प्रशिक्षण'** के **'प्रयोग'** से हिन्दी का **'प्रसार'** हो।
**'पत्राचार'** हो हिन्दी में और हिन्दी का **'प्रचार'** हो।

**'प्रबंधन'** हो ऐसा कि लक्ष्य सभी प्राप्त हो।
**'प्रौद्योगिकी'** के **'प्रयोग'** से साधन सभी पर्याप्त हो।

**''प्रोत्साहन''** हो दिल में ऐसा सब हिंदी में लिखने लगें!
**'प्रेरणा'** हो ऐसी वसी हिंदी के फूल खिलने लगें!

पूर्ण रूप से राजभाषा अधिनियम को अपनाएं सब !
विश्व स्तरी प्यारी भाषा हिन्दी को बनवाएं सब !

बोल सको जितना भी वो सब हिंदी में ही बोलो तुम !
हिंदी का प्रचार वसी हो जब भी मुख को खोलो तुम!

❒❒❒

# निनिअ-कोच्ची प्रयोगशाला द्वारा विद्वत् समीक्षित पत्रिका में मैनुस्क्रिप्ट का प्रकाशन

**डॉ. अनूप ए. कृष्णन**
**सहायक निदेशक (तकनीकी)**
**निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्ची**

निर्यात निरीक्षण अभिकरण–प्रयोगशाला कोच्ची ने "आईसीपीएमएस का उपयोग कर क्रस्टेशियन्स एवं मत्स्य के लिए इसकी प्रयोज्यता के साथ सेफलोपोड्स में एएस, सीडी, एचजी तथा पीबी के निर्धारण के लिए विधियों का व्यापक सत्यापनः माप की भूमिका, अनुरूपता की घोषणा की रिपोर्टिंग के लिए अनिश्चितता" पर जर्नल ऑफ क्रोमैटोग्राफी एंड सेपरेशन टेक्नीक को एक शोध लेख प्रस्तुत किया है। इस मैनुस्क्रिप्ट को अगस्त 2022 में स्वीकार किया गया और इसे एक ओपन एक्सेस पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया। डॉ. कजन कुमार, डॉ. अनूप ए. कृष्णन, डॉ. बी. विजयकुमार, डॉ. लिजो जॉन, श्री. एम. कलिराज, श्री. टी. महेश्वर राव, श्री. जयपालन जि. और डॉ. जे. एस. रेड्डी ने उक्त मैनुस्क्रिप्ट के लेखक के रूप में योगदान दिया।

मैनुस्क्रिप्ट में सेफलोपोड्स में आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और लेड के निर्धारण और क्रस्टेशियंस और फिन फिश के नमूनों में इसकी प्रयोज्यता के लिए माइक्रोवेव–सहायता प्राप्त पाचन के बाद व्यापक रूप से मान्य की गई एक सरल, संवेदनशील, सटीक और सटीक आगमनात्मक युग्मित प्लाज्मा–मास स्पेक्ट्रोमेट्री (आईसीपी–एमएस) विधि पर विस्तृत वर्णन है। एचओआरआरएटी (होर्राट), निर्धारण की सीमा (एलओडी), परिमाणीकरण की सीमा (एलओक्यू), मानक माप अनिश्चितता और उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के मूल्यांकन के साथ विशिष्टता, सत्यता, पुनर्प्राप्ति, दोहराव और मध्यवर्ती दोहराव जैसी प्रदर्शन विशेषताओं की सूचना दी गई है। विधि सत्यापन के परिणामों ने प्रदर्शित किया कि विधि यूरोपीय आयोग के विनियमन 333/2007/ईसी के अनुसार प्रदर्शन मानदंडों का अनुपालन करती है। ईआरएम–सीई278के (मुसेल ऊतक) प्रमाणित विधि की सत्यता का मूल्यांकन करने के लिए संदर्भ सामग्री का उपयोग किया गया। औसत रिकवरी 82 से 120% के बीच रही। अध्ययन की गई सभी सांद्रता श्रेणियों के लिए एचओआरआरएटी(होर्राट) मान 2 से कम थे। अधिकतम मानक माप अनिश्चितता (यूएफ) से कम संयुक्त मानक माप अनिश्चितता (यू) के साथ विधि–उत्पादित परिणाम आधिकारिक नियंत्रण के लिए इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करते हैं। इस पेपर ने आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार अनुरूपता के बयान की रिपोर्टिंग में माप अनिश्चितता की भूमिका को सामने लाया। वर्णित विधि को समुद्री खाद्य में चुने हुए जहरीले तत्व के एक साथ निर्धारण और मात्रा का ठहराव के लिए पर्याप्त माना जा सकता है और इसे आधिकारिक नियंत्रण नमूनों में भी लागू किया जा सकता है।

यह पेपर मान्यता प्राप्त (आईएसओ/आईईसी 17025:2017) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के लिए विधि और विस्तृत विधि सत्यापन और निर्यात किए जा रहे माल के परिणामों की व्याख्या पर मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों में भारी धातुओं के परीक्षण में शामिल मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मैनुस्क्रिप्ट को डीओआई लिंक DOI: 10.35248/2157-7064.22.13.486 के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा जा सकता।

# भारतीय डेयरी उत्पाद और निर्यात क्षमता

**श्री विकास दहिया**
**तकनीकी अधिकारी**
**निनिप,नई दिल्ली**

दूध उत्पादन के मामले में भारत अब निर्विवाद रूप से दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उद्योग है; पिछले साल भारत ने लगभग 183.96 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो अमेरिका की तुलना में 50% के करीब और बहुप्रचारित नए विकास चैंपियन, चीन से तीन गुना अधिक है। उचित रूप से, भारत किसी भी विश्व डेयरी उद्योग की सबसे बड़ी निर्देशिका या विश्वकोश भी तैयार करता है। भारत में डेयरी क्षेत्र ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय विकास किया है और भारत अब दुनिया में दूध और मूल्य वर्धित दूध उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु भारत में डेयरी उत्पादों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं।

भारत के डेयरी उत्पादों का निर्यात दुनिया में 108,711.27 मीट्रिक टन था, जिसकी कीमत वर्ष 2021–22 के दौरान 2,928.79 करोड़ थी। डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को भारत सरकार के आदेश और अधिसूचना एस.ओ. 4031(ई) और एस.ओ. 4032 (ई) दोनों दिनांक 09.11.2020, जिसके आधार पर निर्यात के लिए दुग्ध उत्पादों को संसाधित करने वाले प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा बिना प्रतिष्ठानों की मंजूरी के भी दूध उत्पादों का निर्यात संभव हो गया है।

2020 में नए दूध और दुग्ध उत्पाद नियम दूध उत्पादों के निर्यात से संबंधित सभी पुराने आदेशों का स्थान लेते हैं। इन नियमों की अच्छी बात यह है कि अब दूध भी नियमों के अधीन है और एक निर्यातक ऐसे उत्पादों का निर्यात संयंत्र की मंजूरी के बिना भी कर सकता है। ईआईसी ने कन्साइनमेंट–वाइज निरीक्षण योजना को शामिल किया है जिसके तहत गैर–यूरोपीय संघ के देशों को दूध और दूध उत्पादों का निर्यात आसानी से संभव हो गया है।

शामिल किए गए इन नए नियमों के आधार पर, अब दुग्ध उत्पाद विशेष रूप से मीठे दूध उत्पाद जैसे रसगुला, गुलाब जामुन और इसी तरह के मिठाई उत्पादों का निर्यात करना और भी आसान हो गया है। खाड़ी देशों में इन उत्पादों की भारी मांग है।इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं क्योंकि यूरोपीय देशों, खाड़ी देशों के सहित पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है।

इसी तरह, मेरा मानना है कि बंगाली मिठाई अमेरिका और यूरोप में गति पकड़ रही है, और मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्यातक आसानी से निर्यात कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे दूध उत्पाद प्रोसेसर भी इन उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम होंगे जो उन्हें आगे अंतरराष्ट्रीय बाजार का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और हमारे दुग्ध उत्पाद जिनमें पारंपरिक मिठाइयां भी शामिल हैं, पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी।

# यूरोपीय संघ (ईयू) खाद्य और फ़ीड नियंत्रण प्रणाली

**डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता**
**तकनीकी अधिकारी, निनिप**

यूरोपीय संघ (ईयू) के पास अपनी सीमाओं के भीतर उत्पादित खाद्य और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक प्रणाली है, साथ ही अन्य देशों से आयातित उत्पाद भी हैं। यह प्रणाली जानवरों और मानव उपभोक्ताओं दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है।

यूरोपीय संघ (ईयू) में यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित, बेचे और उपभोग किए जाने वाले खाद्य और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई नियम हैं। ये नियम कृषि उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता, खाद्य और फ़ीड योजक, खाद्य और फ़ीड संदूषक, भोजन और फ़ीड लेबलिंग, भोजन और फ़ीड स्वच्छता, भोजन और फ़ीड पता लगाने की क्षमताएँ और उपभोक्ताओं को भोजन और फ़ीड जानकारी सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) और पशु आहार की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ के भी नियम हैं। इन विनियमों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भोजन और फ़ीड उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं और मानव और पशु उपभोग के लिए सुरक्षित हैं।

यूरोपीय संघ (ईयू) में यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित, वितरित और उपभोग किए जाने वाले खाद्य और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का एक सेट है। इन विनियमों में खाद्य योजकों की स्वीकृति और उपयोग, खाद्य लेबलिंग और पैकेजिंग, खाद्य स्वच्छता, पता लगाने की क्षमता और पशु आहार सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

भोजन और फ़ीड से संबंधित यूरोपीय संघ के कुछ प्रमुख नियमों में शामिल हैंः–

1. विनियमन (ईसी) संख्या 178/2002, जिसे सामान्य खाद्य कानून विनियमन के रूप में भी जाना जाता है, खाद्य कानून के सामान्य सिद्धांतों और आवश्यकताओं के साथ–साथ यूरोपीय संघ (ईयू) के भीतर भोजन और फ़ीड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं को स्थापित करता है।

विनियमन खाद्य श्रृंखला में विभिन्न अभिनेताओं की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है, जिसमें खाद्य और फ़ीड व्यवसाय, राष्ट्रीय प्राधिकरण और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) शामिल हैं। यह जोखिम विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत भी स्थापित करता है, जो यूरोपीय संघ में खाद्य और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सामान्य खाद्य कानून विनियमन के तहत, खाद्य और फ़ीड व्यवसाय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके द्वारा बाजार में रखे जाने वाले उत्पाद सुरक्षित हैं और सभी लागू खाद्य और फ़ीड सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण विनियमन को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर बाजार में रखे जाने वाले खाद्य और फ़ीड उत्पाद आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।

2. विनियमन (ईसी) संख्या 1331/2008, जो खाद्य योजकों के अनुमोदन और उपयोग के लिए नियम स्थापित करता है। विनियमन (ईसी) संख्या 1331/2008 यूरोपीय संघ का एक विनियमन है जो पशु पोषण में उपयोग के लिए योजक के अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए नियम स्थापित करता है। विनियमन योजक के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं और शर्तों को निर्धारित करता है, जिसमें उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता, और अधिकृत योजक के लिए लेबलिंग और मार्केटिंग आवश्यकताएं शामिल हैं। योजक ऐसे पदार्थ हैं जो जानबूझकर पशु फ़ीड में इसके पोषण मूल्य में सुधार करने या कुछ विशेषताओं को बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे कि संरक्षण या स्वाद। यह नियम उन सभी योजक पर लागू होता है जिनका उपयोग पशु पोषण में किया जाता है, जिसमें विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड और अन्य पदार्थ शामिल हैं।

विनियम फीड योजक के ईयू रजिस्टर को भी स्थापित करता है, जो एक डेटाबेस है जिसमें सभी फीड योजक की जानकारी होती है जिन्हें ईयू में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। रजिस्टर का प्रबंधन यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) द्वारा किया जाता है, जो फ़ीड योजक की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और उनके अनुमोदन पर यूरोपीय आयोग को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।

3. विनियमन (ईसी) संख्या 1169/2011, जो उपभोक्ताओं के लिए खाद्य जानकारी की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, खाद्य लेबलिंग के प्रावधान और पोषण संबंधी जानकारी के प्रावधान सहित विनियमन (ईसी) संख्या 1169/2011 एक ईयू विनियमन है जो खाद्य उत्पादों के लेबलिंग, प्रस्तुति और विज्ञापन के नियमों को निर्धारित करता है। विनियमन उन सभी खाद्य उत्पादों पर लागू होता है जो यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित, आयात या बेचे जाते हैं, और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले भोजन के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विनियमन के लिए खाद्य लेबलों में कुछ अनिवार्य जानकारी शामिल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन का नाम, सामग्री की सूची, शुद्ध वजन या मात्रा, और समाप्ति तिथि। लेबल में भोजन में मौजूद किसी भी एलर्जी के साथ–साथ भोजन के बारे में किए गए किसी भी पोषण संबंधी दावे या स्वास्थ्य संबंधी दावे भी शामिल होने चाहिए।

इन आवश्यकताओं के अलावा, विनियम खाद्य लेबल पर कुछ शर्तों और दावों के उपयोग के लिए नियम भी स्थापित करता है, जैसे "जैविक,' 'प्रकाश,' और "प्राकृतिक।" यह पोषण और स्वास्थ्य दावों के उपयोग के लिए नियम भी निर्धारित करता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि वे वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हों और उपभोक्ताओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझे जाएं।

विनियमन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में सूचित विकल्प बनाने में मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य लेबल सही हैं और भ्रामक नहीं हैं।

4. विनियमन (ईसी) संख्या 183/2005, जो पशु फ़ीड और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के नियमों को निर्धारित करता है।

यूरोपीय संसद और 12 जनवरी 2005 की परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 183/2005 फ़ीड स्वच्छता के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करना एक यूरोपीय संघ विनियमन है जो यूरोपीय संघ में फ़ीड उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के नियमों को निर्धारित करता है। यह नियम पशु या मानव उपभोग के लिए लक्षित सभी फ़ीड उत्पादों पर लागू होता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये उत्पाद सुरक्षित हैं और पशु या मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा नहीं करते हैं, स्वच्छता, लेबलिंग और पता लगाने की क्षमता के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

विनियमन फ़ीड योजक के प्राधिकरण और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रणाली भी स्थापित करता है और कुछ दूषित पदार्थों के लिए अधिकतम स्तर निर्धारित करता है जो फ़ीड उत्पादों में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा, विनियमन की आवश्यकता है कि सभी फ़ीड उत्पादों को बाजार में रखे जाने से पहले इन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जाए। अंत में, विनियमन फ़ीड उत्पादों के संबंध में संभावित सुरक्षा जोखिमों की त्वरित चेतावनी और अधिसूचना के लिए एक प्रणाली स्थापित करता है, और इस तरह के जोखिम की स्थिति में पशु और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है।

5. विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 एक यूरोपीय संघ विनियमन है जो खाद्य श्रृंखला के सभी चरणों को कवर करते हुए खाद्य स्वच्छता के लिए सामान्य सिद्धांतों और आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यह प्राथमिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक, खानपान, निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण और भोजन की खुदरा बिक्री सहित सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों पर लागू होता है। विनियमन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भोजन से उत्पन्न होने वाले उनके स्वास्थ्य के जोखिमों से बचाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि भोजन मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है। इसके लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को लागू करने और खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करने के लिए एचएसीसीपी (हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स) के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। विनियमन में खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने, सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए आधिकारिक नियंत्रणों में सहयोग करने और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा बेचे जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।

इन विनियमों को राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जाता है और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) द्वारा निगरानी की जाती है, जो यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा नियामक ढांचे को स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाह और समर्थन प्रदान करता है।

इन नियमों के अलावा, यूरोपीय संघ में कई एजेंसियां और निकाय भी हैं जो भोजन और फ़ीड नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) है, जो

खाद्य और फ़ीड सुरक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के निर्णयकर्ताओं को वैज्ञानिक सलाह और समर्थन प्रदान करता है।

यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) यूरोपीय संघ (ईयू) की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो यूरोपीय संघ के लिए खाद्य और फ़ीड सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य और कल्याण, और पौधों के स्वास्थ्य पर जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है। ईएफएसए की स्थापना 2002 में यह सुनिश्चित करने में मदद के लिए की गई थी कि यूरोपीय संघ में खाया जाने वाला भोजन और फ़ीड सुरक्षित है और खाद्य श्रृंखला से जुड़े संभावित जोखिमों से मानव और पशु स्वास्थ्य की रक्षा करता है। एजेंसी का मुख्यालय पर्मा, इटली में है और इसमें एक वैज्ञानिक समिति और पादप स्वास्थ्य पर एक पैनल, पशु स्वास्थ्य और कल्याण पर एक पैनल, और जैविक खतरों पर एक पैनल, अन्य शामिल हैं। ईएफएसए के मुख्य कार्यों में भोजन और फ़ीड सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य और कल्याण, और पौधों के स्वास्थ्य पर जोखिम आकलन करना और यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा कानून के विकास के लिए वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना शामिल है। यह जनता को खाद्य सुरक्षा जोखिमों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने और मीडिया और अन्य हितधारकों को अपने काम के परिणामों को संप्रेषित करने में भी भूमिका निभाता है।

ईएफएसए यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा नियामक ढांचे को स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाह और समर्थन प्रदान करता है। सामान्य खाद्य कानून विनियमन ट्रेसबिलिटी और रैपिड अलर्ट सिस्टम के सिद्धांतों को भी स्थापित करता है, जो यूरोपीय संघ में खाद्य और फ़ीड उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। ये सिस्टम संभावित रूप से असुरक्षित उत्पादों की तेजी से पहचान और रिकॉल की अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें बाजार से जल्द से जल्द हटा दिया जाए।

कुल मिलाकर, यूरोपीय संघ के खाद्य और फ़ीड नियंत्रण प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भोजन और फ़ीड उत्पाद सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, और जानवरों और मानव उपभोक्ताओं दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है।

# जीवन का अनुभव

**श्रीमती कमलेश गुप्ता,**
**निनिप, क.हि. अनुवादक**

व्यक्ति जितना उम्र का पड़ाव को पार कर जाता है उतना ही अनुभव प्राप्त हो जाता है। वह अनुभव कड़वे होते है और कुछ मीठे वक्त के साथ–साथ स्थिति परिवर्तित होती रहती है, और जीवन शैली में भी उतार–चढ़ाव आते रहते है, जीवन के आज तक के अनुभव से मैनें एक शिक्षा अवश्य प्राप्त की है कि वक्त जैसा भी आए हौंसले हमेशा मजबूत रखने चाहिए, क्योकि जीवन में जिसने मुश्किल समय में हौसले खोए है उन्हे हमेशा हार या मुश्किलों का सामना करना पडा है। जरूरी नही है कि जो हौसले से त्रस्त जो हुआ है, विफल वही हुआ है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले होते है जिनके हौसले बुंलद होने पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है हर कदम पर आपको एक अलग तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सामना करना पडे मगर अपने पर अडिग विश्वास रखना है। सर्वश्रेष्ठ न होते हुए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है दूसरों को अपनी कमी नही ताकत की पहचान से अवगत करना है आपसे जो ईर्ष्या या द्वेष रखते है उन्हें यह बताना है कि बुराई दूसरे में ढूँढने से पहले स्वयं के भीतर नजर डाल कर देखें अगर उन्हें स्वयं में कोई बुराई नजर आती है तो उन्हें अवगत करना है और स्वयं के अंदर नजर डाल कर देंखें। कि स्वयं वही सबसे टूटा हुआ और हारा हुआ मानस है, हो सकता है आपकी तरक्की में रूकावटें आए हर कदम पर आए परन्तु अगर आप मेहनती कर्मठ और ईमानदार, ज्ञानी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके मार्ग में बाधक नही बन सकती।

अच्छी सोच रखो कार्य के प्रति वफादार रहो, कार्यस्थल को मंदिर समान समझो, मंजिले खुद व खुद आसान होती जाएगी, छोटी से छोटी सफलता को सर्वोपरि स्थान दो, सफलता की मंजिल का सफर पहले पायदान से शुरू होती है,क्योंकि सर्वप्रथम पहले पायदान पर पांव रखकर अंतिम मंजिल प्राप्त होती है अर्थात सफलता की कुँजी ही मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा है। याद रहें मृदृभाषी, सरल व्यवहार, प्रखर बुद्धि, तेजस्वी व्यक्तित्व और ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ जो अग्रसर होते है, उन्ही को जीवन में सफलता प्राप्त होती है।

# बदलते परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व

**श्रीमती अंजु शर्मा**
**लिपिक श्रेणी–II**
**निनिप, नई दिल्ली**

शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना बदलते परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा ज्ञान की एक पूंजी है यह तब सिद्ध हुआ जब कोरोना की स्थिति आयी। जो शिक्षा हम किसी स्कूल, कॉलेज, संस्थान में जाकर गुरु के समक्ष बैठकर ग्रहण करते थे अब ऑनलाइन शिक्षा के दौर में हम लैपटॉप, टेबलेट, मोबाइल तथा कम्प्यूटर के द्वारा अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते है। शिक्षा मानव की एक ऐसी पूंजी है जिससे वह स्वयं तथा दूसरों को शिक्षित करता है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हमे लॉकडाउन में पता चला जब सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई तथा फिर केंद्रीय सरकार ने भी लॉकडाउन लगा दिया उस समय सभी औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा संस्थान तथा समस्त यातायात साधन बंद हो गए। ऐसी परिस्थिति में स्कूल, कॉलेजों के कई छात्रों ने एक वर्ष का अंतराल भी लिया की शायद स्थिति सामान्य हो जाए परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस समय शिक्षा को बिना रुके सुचारु रूप से छात्रों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम चुना गया। शिक्षा का यह साधन इस विकट समय में बहुत कारगर साबित हुआ जिसने इसके महत्व को और बढ़ा दियाः–

- ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी घर पर रहकर अपनी पढाई को जारी रख पाए। ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम किसी भी समय शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर सकते है।
- ऑनलाइन शिक्षा के लिए तकनीकी क्षेत्र में बहुत से ऐसे ऐप आ गए है जिसने शिक्षा को और भी रोमांचिक बना दिया है।
- ऑनलाइन शिक्षा में हम संकल्पना यानी कांसेप्ट को रिकॉर्ड कर सकते है जिससे विध्यार्थी पाठ को पुनः चलाकर देख सकते है। ऑनलाइन शिक्षा में यदि कोई टॉपिक हमे समझ में नहीं आता है तो बेझिझक हम दोबारा उस पाठ को देख या सुन सकते है।
- ऑनलाइन शिक्षा से हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। शिक्षा संस्थान तक पहुँचने में जो यात्रा खर्चा होता है उसकी बचत भी होती है। ऑनलाइन शिक्षा में हम घर पर रहते हुए भी विदेशों मे स्थित बड़े–बड़े शिक्षा संस्थाओं के डिजिटल कोर्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते है।
- ऑनलाइन शिक्षा उन छात्रों के लिए भी वरदान साबित हुई है जो अच्छे स्कूल, कॉलेजों में एडमीशन लेना चाहते है लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाता परंतु आज उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व उतना ही है जितना ऑफलाइन शिक्षा का आज के युग में ऑनलाइन कोर्स करने पर भी सर्टिफिकेट मिलता है जिससे छात्रों को नौकरी भी मिलती है।

- आज का युग तकनीकी युग है। ऑनलइन शिक्षा एक ऐसी तकनीकी है इसका प्रारम्भ 1993 में हुआ। इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा जहां अपने में शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है लेकिन उसके अपने कुछ नुकसान भी है जंहा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना शहरी लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हुई वही ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य छात्र उससे वंचित रहे क्यूंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से क्षेत्र है जंहा पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही उनके पास लैपटॉप या एनरोइड मोबाईल है जिससे वह शिक्षा से वंचित हो रहे है।
- ऑनलाइन शिक्षा में छात्र उतने प्रतिभागी नही होते क्योंकि जब स्कूल, कॉलेज में जाते है तो हमारी प्रतियोगिता की क्षमता ज्यादा होती है लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में यह सब नहीं होता है इस माध्यम के कारण बच्चे आउटडोर क्रियाओं से दूर हो रहे है और आलस इसका मुख्य कारण है।
- ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे ज्यादा मन से पढाई नहीं करते है क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा मे इंटरनेट की संयोजकता की कमी के कारण आधा समय इस बात मे निकल जाता है की सभी छात्र कक्षा मे जुड़ पाये है या नहीं।
- ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की आँखें तथा सर में दर्द तथा बहुत–सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
- ऑनलइन शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या – मोबाइल का दुरुपयोग, हम अपने बच्चों का मोबाइल पढ़ने के लिए देते है लेकिन बच्चे उसका दुरूपयोग भी करते है।
- ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान साबित हुआ है जो लोग नौकरी करते है तथा घर पर रहते है उनके लिए यह वरदान है अब लोग घर पर रहते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते है तथा शिक्षा प्राप्त करके अपना और देश का भविष्य उज्जवल कर सकते है सरकार को एक योजना बनानी चाहिए जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी है वंहा पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराये, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा में आते है उनको लैपटॉप तथा मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराये जिससे वह शिक्षा से वंचित न रहें क्यूंकि शिक्षा प्राप्त करना हर एक नागरिक का अधिकार है।

# राष्ट्र की शान हिंदी

**श्री योगेश गुप्ता**
**प्रयोगशाला सहायक श्रेणी–II**
**निनिअ–दिल्ली**

राष्ट्र की शान में
हिंदी है अरमान।
हिंदी में है मेरा नाम
हिंदी मेरी पहचान।
हिंदी हूँ मैं
प्यारा हिन्दुस्तान।
बढ़े चलो हिंदी की डगर
हो अकेले फिर भी मगर।
मार्ग के कांटे भी
फूल बन जाएगे पथ पर।
हिंदी है हम हिन्दुस्तानी है
हिंदी मेरी पहचान है।

# सेवानिवृत्त कर्मचारी

**निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों कार्यालयों में अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 तक सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारी**

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | पदस्थान | सेवानिवृत्त तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पी. रामाकृष्ण | कार्यालय सहायक | निनिअ –कोच्चि | 30.04.2022 |
| 2. | प्रमोद कुमार चुटानी | लिपिक–I | निनिअ – दिल्ली (मुख्यालय) | 30.04.2022 |
| 3. | टी. चंद्रकांतम | एमटीएस | निनिअ – चेन्नई (विशाखापत्तनम) | 30.06.2022 |
| 4. | मधुकर अर्जुन सपकल | एमटीएस | निनिअ – मुबई (मुख्यालय) | 30.06.2022 |